ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-4* May-2017
Innovation The Research Concept

वैश्वीकरण के दौर में हिन्दी

सारांश

राष्ट्रभाषा केवल वार्तापूर्ति का एक साधन ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हिन्दी हमारे जीवन–मूल्यों, आचार–विचार, परम्परा व संस्कृति का दूसरा नाम है। स्वतन्त्रता–संघर्ष के दौरान ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने यह भली–भाँति समझ लिया था कि सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए एक ऐसी भाषा कड़ी का होना आवश्यक है जिसके माध्यम से देशवासी आपसी विचार–विमर्श कर राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। स्पष्ट था कि वह भाषा गुलामी की प्रतीक अंग्रेज़ी नहीं हो सकती थीं। सीमित दायरा होने के कारण अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी वह स्थान ग्रहण नहीं कर सकती थी। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा डाली गई बाधाओं के कारण हिन्दी अपने ही घर में वह स्थान नहीं बना पाई है, जिसकी आशा की जानी चाहिए।

मुख्य शब्द : वार्तापूर्ति, अस्मिता, प्रौद्योगिकी, स्वर्णिम, सेंसेक्स

पूनम काजल
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,
हिन्दी विभाग,
हिन्दू कन्या महाविद्यालय,
जीन्द

प्रस्तावना

इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों हिन्दी का प्रचार–प्रसार काफी बढ़ा है मगर यह भी सच है कि आज जनसाधारण में यह भावना बहुत गहरे तक घर कर चुकी है कि बिना अंग्रेज़ी के उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर देश में अस्मिता का बोध नहीं, तो आर्थिक उन्नति के बावजूद वह उन्नत नहीं हो सकता। भारत जब गुलाम हुआ था, उस समय भी तो वह सोने की चिड़िया कहलाता था। अतः सेंसेक्स की चमक–दमक, तरह–तरह की वैज्ञानिक व व्यापारिक उपलब्धियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी कैसे हो सकती हैं ? यह समझने की आवश्यकता है कि विचार–विमर्श, नीति–निर्माण और शिक्षा–दीक्षा में अंग्रेज़ी वर्चस्व ने देश के उच्च वर्ग को जनता से और एक दूसरे से दूर किया है। हमें भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाया है।

इतिहास गवाह है कि अदालत के ही रास्ते अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज़ी थोपी थी। यह स्वाभाविक ही था कि यदि कानून की भाषा अंग्रेज़ी थी, तो न्यायालयों की भाषा भी अंग्रेज़ी हो गई। संविधान निर्माताओं ने इस देश के आम नागरिक को सीधे न्याय की गुहार लगाने का अधिकार दिया है। क्या उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेज़ी रहने पर इस देश का आम नागरिक उनके दरवाजे पर कभी खड़ा हो सकता है? निजी कानून के इस सबसे बड़े अधिकार ने इस देश को वंचित कर रखा है। यह सराहनीय है कि अब राज्य स्तर पर बनने वाले कानूनों की भाषा बहुत हद तक हिन्दी हो गई है।

यह भी सत्य है कि आज हिन्दी राजभाषा और संपर्क भाषा के अनेक सोपानों को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन हिन्दी के परिवर्तित होते स्वरूप के कारण अनेक पुरातनपंथी हिन्दी के विकास पर शंका और क्षोभ जताते हैं। उनके ज्ञान के दायरे सीमित हैं, वे बंद आँखों से दुनिया और भाषा का आंकलन करते हैं। वे आम ज़िन्दगी में भाषा के विकास पर बात कम, भाषा के बिगड़ते स्तर पर उपदेश देना ज्यादा पसन्द करते हैं। यह तय है कि जब–जब दुनिया और समाज के बीच परिवर्तन का दौर चलेगा, तब–तब हमारी भाषा और उसके बोलचाल का ढंग भी बदलेगा, क्योंकि भाषा बहते नीर के समान होती है। कुछ पुराना छोड़ती जाती है और कुछ नया अपनाती जाती है। हमारे परम्परावादियों की परेशानी यह है कि वे हिन्दी भाषा को केवल साहित्य की शुद्धता से नाप–तोल कर देखना–परखना चाहते हैं। उनका यह भी आरोप है कि बाज़ार का वर्चस्व हिन्दी को मार रहा है। हिन्दी कैसी होनी या रहनी चाहिए, इसका एकाधिकार साहित्यकारों के पास ही नहीं, बाज़ार के हाथों में भी आ गया है। भाषा चाहे कोई भी हो, दायरों में सिमटकर नहीं रह सकती। आज हिन्दी बाज़ार की सबसे बड़ी भाषा बनकर उभर रही है। आज अपने माल

के प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी को अपनाना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विवशता है और उनकी यही विवशता हिंदी की शक्ति की परिचायक है। भाषा अगर बाज़ार को कुछ दे रही है तो बाज़ार से भाषा का प्रचार भी बढ़ रहा है। आज जितने भी विदेशी उत्पाद हमारे देश में आ रहे हैं, वे अपने बलबूते पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाषा के रास्ते ही आ रहे हैं। वे भली–भांति जानते हैं कि अंग्रेज़ी में न तो वे पिज्जा बेच सकते हैं और न बर्गर। 'ठंडा मतलब कोका कोला' यह हिन्दी में ही समझाया जाता है। यह सही है कि वे हिन्दी भाषा के सहारे अपना माल बेच रहे हैं, लेकिन हम यह क्यों नहीं समझते कि इस बहाने हिन्दी की ज़रूरत और दायरा भी तो बढ़ रहा है।

आज कम्प्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में भी हिन्दी की स्थिति बेहतर हो रही है। वैश्वीकरण के इस दौर में हिन्दी भाषा को रोजगारपरक बनाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ आलोचक मोबाइल व इंटरनेट को हिन्दी के लिए खतरा मानते हैं। उनके अनुसार दिनों–दिन बढ़ते मोबाइल फोन से एस.एम.एस. और इंटरनेट के जरिए ई–मेल भेजने के लिए लोग अंग्रेजी के 'की–बोर्ड' का इस्तेमाल कर रोमन लिपि में हिन्दी लिख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में देवनागरी लिपि के लुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। यदि इसे सकारात्मक रूप में लिया जाए, तो केवल 'की–बोर्ड' को हिन्दी में परिवर्तित करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच तो यह है कि आज हिन्दी को कम्प्यूटर पर वह सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो हम समझते थे कि सिर्फ अंग्रेज़ी के पास हैं।

हिन्दी को विश्व–स्तर पर ले जाने में सिनेमा व टी. वी. की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हिन्दी फिल्मों के प्रति आज विदेशियों का रूझान बढ़ रहा है। आज टी. वी. पर अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनलों से अधिक हिन्दी न्यूज़ चैनल हैं। जब 15 सितम्बर, 1959 को देश में दूरदर्शन के रूप में टेलीविज़न की शुरूआत हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि किसी दिन यह टी. वी. घर–घर का हिस्सा बन जाएगा। आज टी. वी. सीरियलों ने अपने दम पर पूरे देश को अपनी गिरफ्त में बांध रखा है। 'आस्था' और 'संस्कार' जैसे चैनलों ने तो पूरी दुनिया को ही मोहित कर लिया है। गहराई से विचार करें, तो मन में प्रश्न आता है कि क्या इस विस्तार के सहारे हिन्दी का समाज समृद्ध नहीं हो रहा? कुछ पुरातनपंथी हिन्दी के ठेकेदार यह कहते सुने जा सकते हैं कि हिन्दी बाज़ारू भाषा बन गई है, लेकिन वे यह क्यों भूल जाते हैं कि जब संस्कृत से चलकर हम गद्य हिन्दी तक आए हैं, तो क्या आज हिन्दी की गति अवरुद्ध हो जाएगी?

यह सत्य है कि वैश्वीकरण ने जहाँ हिन्दी भाषा को अनेक आयाम दिए हैं, वहीं अनेक चुनौतियाँ भी हैं। आज बाज़ार की माँग पर हिन्दी भाषा को केवल लाभ के सिद्धान्त तक सीमित रखा जा रहा है। हिन्दी विज्ञापनों में इसका व्याकरणिक ढाँचा बिगड़ रहा है। आज 'ठंडा–ठंडा, कूल–कूल जैसे हैडिंग सहज ही देखे जा सकते हैं, जो यह संकेत करते हैं कि भूमंडलीकरण के इस दौर में हिन्दी के शब्द, वर्तनी, व्याकरण एवं मूल संरचना में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। आज हमारे समक्ष चुनौती यह है कि हम कैसे साहित्य का सृजन करें, जो हिन्दी को अर्थोपार्जन के अतिरिक्त विश्व पटल पर स्थायित्व प्रदान कर एक नई पहचान दे सके। सर्वप्रथम, हिन्दी के कामकाजी रूप को उभारना आवश्यक है। समय की आवश्यकतानुसार नए शब्दों को समेटकर वृहदाकार विश्वकोश के निर्माण की भी आवश्यकता है। हिन्दी का व्याकरणिक ढाँचा, उसका मूल सौन्दर्य विकृत न हो, इसके लिए आवश्यक है कि मीडिया हिन्दी के प्रचार–प्रसार में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनुसंधानात्मक साहित्य हिन्दी में उपलब्ध होना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी की महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉ0 हरमेन्द्र सिंह बेदी लिखते हैं– "कहानी, कविता, नाटक, संस्मरण एवं ज्ञान–विज्ञान की सबसे ज्यादा किताबें हिंदी भाषा में ही छपती हैं। आज हिंदी भाषा एवं साहित्य की गरिमा को आलोकित करने के लिए लगभग 500 पत्र–पत्रिकाएँ छप रही हैं। विभिन्न विषयों पर हिंदी में हर रोज़ 20 किताबें छपकर बाजार में आ जाती हैं। दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं, जिस पर हिंदी भाषा में 2–4 मानक पुस्तकें उपलब्ध न हों।"[3]

उद्देश्य

भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र ही नहीं है, वह हमारी संस्कृति और सभ्यता की परिचायक भी है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिस योग, ध्यान और आयुर्वेद को विशेषतः महत्व दिया जाता रहा है, वे आज विदेशियों को भी आकर्षित कर रहे हैं। यह सत्य है कि किसी भी संस्कृति को पाने के लिए उसकी भाषा के रास्ते से ही पहुँचा जा सकता है। अतः हिन्दी ही भारतीय संस्कृति से विदेशियों को परिचित करवा सकती है, क्योंकि 'हिन्दी केवल भाषा ही नहीं, वह संस्कृति एवं धर्म की भी संवाहक है.....एशिया के देशों की ज्यादातर जानकारियाँ संस्कृत–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सुरक्षित हैं। इस दृष्टि से एशिया के भू–भाग की सबसे बड़ी जुबान हिन्दी है।'[1] डॉ0 जयंतीप्रसाद नौटियाल ने निरन्तर 20 वर्षों तक भारत तथा विश्व में भाषा–सम्बन्धी आँकड़ों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया है कि विश्व में हिन्दी प्रयोग करने वालों की संख्या चीनियों से भी अधिक है और हिंदी अब प्रथम स्थान पर है।[2] इस प्रकार भारत में ही नहीं, अपितु भारतीय मूल के नागरिक जहाँ भी हैं, वहाँ हिंदी संपर्क भाषा का दायित्व निभा रही है।

उपसंहार

सच तो यह है कि अंग्रेज़ी के प्रबल दावेदार देशों में हिन्दी की पढ़ाई पर आज करोड़ों रूपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ज्ञान–आयोग का आग्रह हैं कि देश को गँवार युग से उबारने के लिए नर्सरी से ही अंग्रेज़ी अनिवार्य कर दी जाए। संकुचित सोच का व्यक्ति मानता है कि 'गाँधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा' यह नारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, परन्तु यह तो सुबह होने से पहले का अंधियारा है। हिन्दी का सूर्य उदित हो चुका है और उसकी स्वर्णिम किरणों

का प्रकाश भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में जगमगाहट कर रहा है और करता रहेगा

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शोध दिशा, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी, श्रीमती वंदना सेमल्टी, पृ0 72
2. राष्ट्रभाषा संदेश, 15 जनवरी, 2010, हिंदी केवल भाषा नहीं, डॉ0 हरमेहन्द्र सिंह बेदी, पृ0 10
3. राष्ट्रभाषा संदेश, 15 जनवरी, 2010, हिंदी केवल भाषा नहीं, डॉ0 हरमेहन्द्र सिंह बेदी, पृ0 10